संख्या-25/2351/26-1-2013-सक-1

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2013

विषय- समाज कल्याण/जनजाति विकास के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को अवकाश की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा संविदा कार्मिकों के संबंध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-562/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 30-08-2013 द्वारा राजकीय विभागों में मानदेय/नियत वेतन/संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भॉति प्रसूति अवकाश दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- विदित है कि वर्तमान में समाज कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत ऐसे अवसर आते हैं, जब किसी भी कार्मिक को अतिआवश्यक कार्यो हेतु अवकाश की आवश्यकता पडती है। अत: सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-562/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 30-08-2013 के अनुक्रम में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश राजकीय कर्मचारियों की भॉति अनुमन्य किया जाय। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-25/2351(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
2- वित्त (वेतन-आयोग), उ0प्र0 शासन।
3- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in